भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या : 1076
गुरुवार, 08 फरवरी, 2024/19 माघ, 1945 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

विमानन कंपनियों के समक्ष आ रही तकनीकी गड़बड़ियां

1076. श्री थोमस चाज़िकाडन:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को देश में विभिन्न विमानन कंपनियों के समक्ष हाल ही में पेश आ रही तकनीकी गड़बड़ियों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसी घटनाओं से बचने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (जनरल (डॉ.) विजय कुमार सिंह (सेवानिवृत्त))

(क) और (ख): जनवरी 2023 से जनवरी 2024 तक विभिन्न एयरलाइनों में होने वाली तकनीकी खराबियों का ब्यौरा अनुबंध 'क' के रूप में संलग्न है।

(ग) विमान में तकनीकी खराबी, उद्योग की सामान्य घटना है। तकनीकी खराबी मुख्य रूप से विमान में लगे घटकों/उपसाधन के ठीक से कार्य न करने/खराबी के कारण होती है। इंजन/घटकों/उपसाधन/विमान प्रणालियों की विश्वसनीयता को प्रभावित करने वाले कई कारक हैं, जैसे विमान का परिचालनिक वातावरण, निर्माण मानक, प्रचालन की आवृत्ति आदि। जब कभी तकनीकी खराबी होती है, एयरलाइनों को विमान को परिचालन हेतु भेजने से पहले निर्माता द्वारा दिए गए मार्गदर्शन के अनुसार खराबी/दोषों को ठीक करना अपेक्षित है।

विमान के अनुरक्षण का उत्तरदायित्व एयरलाइनों का होता है, जिसे यह सुनिश्चित करना होता है कि विमान का अनुरक्षण नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) द्वारा अनुमोदित अनुरक्षण कार्यक्रम के अनुसार किया जाता है। एयरलाइन/प्रचालक यह सुनिश्चित करने के लिए भी उत्तरदायी हैं कि विमान के अनुरक्षण के लिए आवश्यक योग्य और अनुभवी जनशक्ति, उपकरण और अनुरक्षण डेटा सहित पुर्जे उपलब्ध हैं।

डीजीसीए यह सुनिश्चित करता है कि एयरलाइन और अनुरक्षण संगठन उन विनियामक आवश्यकताओं का अनुपालन करना जारी रखें, जिनके लिए उन्हें निगरानी, ऑडिट, स्पॉट जांच, रात्रि निगरानी आदि की एक प्रणाली के माध्यम से शुरू में मंजूरी दी गई है और गैर-अनुपालन के मामले में, डीजीसीए सुनिश्चित करता है कि एयरलाइनें/अनुरक्षण संगठन द्वारा सुधार किया जाए। उल्लंघन पाए जाने पर डीजीसीए संगठन/कर्मियों के विरुद्ध प्रवर्तन कार्रवाई शुरू करता है, जिसमें वित्तीय जुर्माना लगाने सहित चेतावनी, निलंबन और रद्दकरण शामिल हो सकता है।

******

<u>अनुबंध - क</u>

क्र.सं.	एयरलाइनें	जनवरी 2023 से जनवरी 2024 तक
1	मेसर्स एलायंस एयर एविएशन लिमिटेड (एलायंस एयर)	07
2	मेसर्स इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड (इंडिगो)	246
3	मेसर्स स्पाइसजेट लिमिटेड (स्पाइसजेट)	47
4	मेसर्स टाटा सिया एयरलाइंस लिमिटेड (विस्तारा)	79
5	मेसर्स एअर इंडिया लिमिटेड (एअर इंडिया)- फ्लीट ए	46
6	मैसर्स बिग चार्टर प्राइवेट लिमिटेड (फ्लाई बिग)	05
7	मेसर्स एअर इंडिया लिमिटेड (एअर इंडिया)- फ्लीट बी	17
8	मेसर्स गो एयर	01
9	मेसर्स अकासा एयर	06
10	मेसर्स ब्लूडार्ट एविएशन लिमिटेड	02
11	मेसर्स ट्रूजेट	0
12	मेसर्स एयर एशिया (इंडिया) लिमिटेड	22
	कुल	**478**